

पदीय / सौदा 32/22

दिनांक

आज्ञा पत्र

7.3.24

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पोंडेंटस उपस्थित
पीठासीन अधिकारी महोदय आज... पत्रावली कार्य
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 6.6.24
को पेश हो।

साधारण नोटिस जारी

7453-64

20.5.24

6.6.24

पत्रावली पेश वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि
आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें
अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज
कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलाट में रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस
पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलाट अपनी अपील के प्रति गम्भीर
नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज
की जाती है, निर्णय तब इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल टफतर हो।



सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प इन्डियन)